न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 40/2021
(C.I.S. No. 61/2021)
(CNR No. RJRS010012042021)

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

1. सुशीला पत्नी राजेश रैगर, निवासी कुरज, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द,
2. तिलकेश पुत्र शंकरलाल रैगर, निवासी कुरज, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द,
3. राजेश पुत्र शंकरलाल रैगर, निवासी कुरज, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द व
4. अणछी पत्नी कैलाश रैगर, निवासी नया समेलिया, पुलिस थाना कोतवाली, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

.... अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

1. श्री रामलाल जाट, लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री रामचन्द्र देवपुरा, अधिवक्ता–अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक : 23.03.2026

1. यह प्रकरण थानाधिकारी पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2020 में बाद अनुसंधान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा में अभियुक्तगण सुशीला, तिलकेश, राजेश व अणछी के विरूद्ध धारा 498–ए, 304–बी भारतीय दंड संहिता के अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर संस्थित हुआ है। मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से पत्रावली इस न्यायालय को उपार्पित (Commit) की

गई, जिस पर दिनाँक 26.07.2021 को प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी लालुराम ने दिनांक 21.10.2020 को उपखंड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी पुत्री अन्नु कुमारी पत्नी तिलकेश रैगर का विवाह दिनांक 29.06.2020 को हमीरगढ में सम्पन्न करवाया । शादी के समय उसने हैसियत अनुसार उसकी पुत्री को स्त्रीधन के रूप में सोने, चांदी के जेवर, खाने–पीने के बर्तन, पलंग, आलमारी आदि सामान दिया । शादी के बादसे ही उसकी पुत्री उसके ससुराल कुरज आने–जाने लग गई । जब कभी अन्नु हमीरगढ घर पर आती तब वह उसे व उसकी पत्नी को बताती की ससुराल में उसे दहेज कम देने की बात को लेकर ताने मारते रहते हैं कि उसके पिता ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया, वह भूखे घर से आई है और दहेज में कुछ नहीं लाई है, वह अपने पिता के पास से फोरव्हीलर एवं 5 लाख रुपये नकद लेकर आए अन्यथा उसे नहीं रखेंगे । उसका दामाद तिलकेश दिनांक 16.09.2020 को अन्नु को हमीरगढ छोड़कर चला गया । तब से उसकी पुत्री उसके घर पर ही रह रही है। दिनांक 10.10.2020 को उसका दामाद पुत्री अन्नु को लेने आया जिनको उसने व उसकी पत्नी ने समझा–बुझाकर ससुराल कुरज भेज दिया । उसकी पुत्री अन्नु ने ससुराल कुरज पहुंचकर बताया कि उसके ससुराल में उसे उसका पति तिलकेश, जेठ राजेश, ननद अणछी देवी, ननद चंदादेवी, जेठानी सुशीला सभी व्यक्ति उसे दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर रहे हैं, वह परेशान हो गई है, उसे फोन पर बात भी नहीं करने देते हैं । इस पर उसे अपनी पुत्री के ससुर शंकरलाल को फोन पर समझाया पर शंकरलाल यह कहकर बात टाल देते कि वह बाहर है, घर जाकर परिवार से बातचीत करके वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे । लेकिन काफी इंतजार के बाद भी फोन पर उसकी बात को नजरअंदाज करते रहे । फिर उसकी पत्नी ने अन्नु की जेठानी व ननदों को फोन पर समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि फॉरव्हीलर एवं 5 लाख रुपये नकद देंगे तब ही वे अन्नु को उनके घर में रखेंगे नहीं तो जान से मार देंगे । दहेज की मांग उसके

द्वारा पूरी नहीं करने से दिनांक 18.10.2020 को उसकी पुत्री अन्नु को जान से मारकर गले में साड़ी से फंदा लगाकर कड़े से बांध कर लटका दी और शंकरलाल ने उसे फोन पर बताया कि उसकी बेटी मर गई है । यह बात सुनकर वह अपने परिवार वालों को लेकर कुरज आया तो वहां देखा कि जिस कमरे में अन्नु का शव लटका हुआ था उसका किवाड़ व रोशनदान खुले थे, शव जमीन से करीब 3 फीट ऊंचा लटका हुआ था, पैरों के नीचे स्टूल, पीपा या अन्य वस्तु नजर नहीं आई । उस समय घर के बाहर व अंदर पुलिस खड़ी थी और पुलिस वालों ने कहा कि अन्नु का पोस्टमॉर्टम कराना है तो शव को फंदे से उतारकर रेलमगरा सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने अन्नु का पोस्टमॉर्टम किया तब जाकर अन्नु की लाश उसे सुपुर्द की, फिर वे अन्नु का शव लेकर हमीरगढ गए जिसका दिनांक 19.10.2020 को अंतिम संस्कार किया । उक्त सभी ने उसकी पुत्री को कम दहेज का दबाव बनाकर काफी परेशान किया और अंत में उसकी हत्या कर लटका दिया है । अपराधियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवही की जावे........वगैरह । उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कुंवारिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 122/2020, अपराध धारा 498ए, 304बी भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। परिवादी, आहतगण व अन्य गवाहान के बयान लेखबद्ध किए गए। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण सुशीला, तिलकेश, राजेश व अणछी के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी भारतीय दंड संहिता के अपराध में अधीनस्थ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा बाद प्रसंज्ञान प्रकरण उपार्पित कर इस न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

4. इस न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण सुशीला, तिलकेश, राजेश व अणछी को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को साबित करने के क्रम में मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 डॉ. कमलेश, पी.ड.2 सोहनलाल, पी.ड.3 लालूलाल, पी.ड.4 प्रेमदेवी, पी.ड.5 मुकेश कुमार, पी.ड.6 चतरलाल, पी.ड.7 लादूलाल, पी.ड.8 ताराचंद, पी.ड.9 बालूराम, पी.ड.10 बाबूलाल, पी.ड.11 देवेन्द्र, पी.ड. 12 जितेन्द्र कुमार, पी.ड.13 नोपाराम, पी.ड.14 रामफल, पी.ड.15 रामनारायण, पी.ड.16 मनसुखराम, पी.ड.17 डॉ0 राष्ट्र सहना आजाद, पी.ड. 18 केसरसिंह, पी.ड.19 डॉ0 बी.एल.सैनी, पी.ड.20 छगन पुरोहित व पी.ड.21 पेशावर खान को परीक्षित करवाया गया।

प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न प्रलेख प्रदर्शित करवाए गए रू–

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	प्रलेख का नाम या विषय वस्तु
1	प्रदर्श पी.1	उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा चिकित्साधिकारी को तहरीर
2	प्रदर्श पी.2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी.3	फर्द पंचायतनामा लाश
4	प्रदर्श पी.4	फर्द सुपुर्दगी लाश
5	प्रदर्श पी.5	फर्द नक्शा मौका
6	प्रदर्श पी.6	पुलिस बयान सोहनलाल
7	प्रदर्श पी.7	लिखित रिपोर्ट कायमी मुकदमा
8	प्रदर्श पी.8	पुलिस बयान बालूराम
9	प्रदर्श पी.9	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
10	प्रदर्श पी.10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
11	प्रदर्श पी.11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
12	प्रदर्श पी.12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
13	प्रदर्श पी.13	फर्द बरामदगी दहेज सामान
14	प्रदर्श पी.14	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
15	प्रदर्श पी.15	मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति
16	प्रदर्श पी.16	मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति
17	प्रदर्श पी.17	अग्रेषण पत्र
18	प्रदर्श पी.18	अग्रेषण पत्र
19	प्रदर्श पी.19	अग्रेषण पत्र
20	प्रदर्श पी.20	अग्रेषण पत्र
21	प्रदर्श पी.21	एफ.एस.एल. में माल जमा की रसीद
22	प्रदर्श पी.22	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि. अभियुक्त
23	प्रदर्श पी.23	परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
24	प्रदर्श पी.24	मालखाना रजिस्टर की नकल
25	प्रदर्श पी.25	अग्रेषण पत्र
26	प्रदर्श पी.26	एफ.एस.एल. रिपोर्ट

6. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया

तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत व झूठी अभिकथित किया और स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। साथ ही प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जबकि अभियोजन दस्तावेज पुलिस बयान मुकेश कुमार को प्रदर्श डी–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया।

7. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि रू–

{1} क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.10.2020 को प्रातः 9.30 से 10 बजे के मध्य किसी समय जिला राजसमंद के आरक्षी केन्द्र कुंवारिया के क्षेत्र ग्राम कुरज में परिवादी लालुराम की पुत्री श्रीमती अन्नु कुमारी, जो कि अभियुक्त तिलकेश की विवाहिता पत्नी थी, से अनुचित रूप से दहेज की मांग कर, उसके साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की ?

{2} क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी लालुराम की पुत्री श्रीमती अन्नु कुमारी, जो कि अभियुक्त तिलकेश की विवाहिता पत्नी थी, से दहेज की अनुचित मांग को लेकर उसकी मृत्यु से तत्काली पूर्व उसको शारीरिक व मानसिक रूप से क्षति पहुंचाकर उसके साथ क्रूरता कारित की, जिस कारण उसकी सामान्य परिस्थितयों से अन्यथा मृत्यु हो गई ?

{3} यदि, हाँ तो अभियुक्तगण के लिए उपयुक्त दण्ड क्या हो ?

8. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पी.ड. 01 डॉ. कमलेश बोहरा ने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.10.2020 को उसके सी.एच.सी. रेलमगरा में एम.ओ. के पद पर कार्यरत रहते हुए उपखण्ड मजि. रेलमगरा की एक तहरीर प्रदर्श पी 01 मृतका अनु की लाश का पोस्टमार्टम करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी सीएचसी रेलमगरा को प्राप्त हुई थी, जिस पर इंचार्ज साहब ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। मेडिकल बोर्ड में वह स्वयं सदस्य था उसके अलावा डॉ. राष्ट्र सहना आजाद तथा डॉ. बाबूलाल सैनी सदस्य थे। मृतका अनु की लाश का परीक्षण कर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई। लाश के परीक्षण में मल्टीपल इनसाइज्ड वुण्ड, जो बाये कलाई पर रिस्ट जांइण्ट के पास, बाई कोहनी के पीछे खरोंच, पूरे गले पर लीगेचर मार्क

की चोटे शरीर पर पाई गई। मेडिकल बोर्ड की राय में मृत्यु का कारण हैगिंग के कारण दम घुटना था। मृतका के शरीर से एफ.एस.एल. जांच हेतु जार न. 01:– लीवर के पीसेज, स्पिलीन, किडनी, जार न. 02:– इंटेस्टाइन के टुकड़े व स्टॉमक व जार न. 03:– 10 एम एल होल ब्लड सैम्पल प्राप्त किये थे। सैम्पल एस डी एम साहब के जरिये आइ.ओ. को दिये थे। मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम परीक्षण करने से पूर्व के 24 घण्टे के अंदर हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मेडिकल बोर्ड की राय अंकित है, सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 02 के ई से एफ स्थान पर डॉ. राष्ट्र सहना आजाद के व जी से एच स्थान पर डॉ. बाबूलाल सैनी के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

9. गवाह पी.ड. 02 सोहनलाल रेगर पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके छोटे भाई लालुराम की पुत्री अनु कुमारी की शादी दिनांक 29.06.2020 को कुरज निवासी तिलकेश रेगर के साथ करवाई थी। शादी के बाद उसकी भतीजी अनु ससुराल आती जाती रहती थी। शादी के समय उसके छोटे भाई लालुराम ने अपनी पुत्री अनु को घर का उपयोगी सामान दिया था, जर जेवर भी दिया था। दो तीन माह बाद वह अपने घर पर था और उसके भाई ने अपनी बड़ी पुत्री विमला को कॉल कर बताया कि अनु मर गई है, अनु की बड़ी बहन विमला उसके घर आई और उसे बताया कि अनु मर गई है। फिर वे सब परिवार वाले गाड़ी कर के कुरज गॉव आए। अनु के ससुराल जाकर देखा तो घर के बाहर पुलिस खड़ी थी और अनु कमरे में पंखे से साड़ी के फंदे से लटकी हुई थी। रेलमगरा अस्पताल में अनु की लाश का पोस्टमार्टम किया। फर्द पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 03, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 है जिन पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। वह इसके अलावा कुछ नहीं जानता। लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 लिखाये जाने से इन्कार किया।

10. गवाह पी.ड. 03 लालूलाल रेगर ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसकी पुत्री अनु की शादी दिनांक 29.06.2020 को तिलकेश के साथ

करवाई थी। शादी के समय उसने अपनी स्थिति के अनुसार स्त्रीधन के रूप में दहेज का सामान एवं जर जेवर दिए थे। शादी के कुछ दिन बाद ही अनु के ससुराल वाले, पति तिलकेश एवं जेठ राजेश, ससुर शंकरलाल, ननद अणछी देवी, जेठानी सुशीला देवी आदि ने दहेज के लिए एक फोर व्हीलर व नकद 5 लाख रूपए की मांग की, उक्त घटना उसकी पुत्री अनु कुमारी ने उसे बताई और कहा कि पापा आपने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया है, मुझे कुछ दो तभी ये मुझे अच्छा रखेंगे। यह मांग पूरी नहीं होने से उसकी पुत्री अनु को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जान से मार दिया एवं साड़ी से बांध कर कड़े पर लटका दिया। जिस दिन उसकी पुत्री शंकरलाल का फोन उसके पास आया था और कहा कि आपकी बच्ची घर पर कोई काम नहीं कर रही है, जिस पर उसनें कहा कि बच्ची से बात करवा दो तो शंकरलाल जी बोले कि मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन घर जाने के बाद भी उन्होनें उसकी अनु से बात नहीं करवाई। दूसरे दिन सुबह वापस शंकरलाल का फोन आया और कहा कि अनु मर गई है जिस पर वह अपने परिवार को लेकर कुरज आया। वहां पर उसने देखा कि कमरे में अनु की लाश लटकी हुई थी और पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस वाले अनु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रेलमगरा अस्पताल लेकर आए। उसने पुलिस थाना रेलमगरा पर रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिसवालों ने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच एस डी एम कार्यालय रेलमगरा में चल रही है वहां जाओ, जिस पर वह एस डी एम कार्यालय में जाकर एक टाइपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 दी थी, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 03 व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 है। उक्त प्रदर्शों पर उसके हस्ताक्षर है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 05 पर एक्स स्थान पर मेरी अगूंठा निशानी है।

11. गवाह पी.ड. 04 प्रेमदेवी ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसकी पुत्री अनू कुमारी की शादी करीब तीन साल पहले तिलकेश से करवाई थी। शादी के समय उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार घर–गृहस्थी का सामान, चांदी–सोना का सामान दिया था। उसकी पुत्री जब उनके घर आती तब बताती थी कि दहेज कम दिया है इसलिए उसके ससुराल वाले उसके

साथ लड़ाई–झगड़ा करते और कहते थे कि जमीन कम दी है और कहते थे कि तेरे बाप ने उन्हें जमीन नहीं दी है। उसकी पुत्री की मृत्यु हुए करीब तीन–चार साल हो गये हैं। फिर हम उसके ससुराल गये थे। फिर बाद में हम उसकी लाश को हमारे घर लाये थे। मेरी पुत्री को उसके ससुराल वालों ने फांसी का फंदा लगाकर मारा था।

12. गवाह पी.ड. 05 मुकेश कुमार ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसकी बहिन अनु की शादी दिनांक 29.06.2020 को तिलकेश के साथ हुई थी। शादी के पश्चात् सभी अभियुक्तगण उसकी बहिन को सामान कम देने के लिए प्रताड़ित करने लगे थे और कहते थे सोने–जेवरात कम दिये हैं। और ये भी ताना देते थे कि उनके क्षेत्र में तो बहुत दहेज देते हैं और वो कहते कि तू तो भूखे घर से आई है। उसकी जेठानी उसकी बहन को ताना मारती थी कि जब उसकी शादी हुई थी तब वह दो लाख रूपए दहेज में लाई थी लेकिन तू क्या लेकर आई है। फिर दिनांक 18.10.2020 को उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी। उस दिन जब हम उसकी बहन के ससुराल गये तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन साड़ी के फंदे से करीब तीन फीट ऊपर फांसी पर लटकी हुई है तथा बाहर से रोशनदान व गेट खुला हुआ था। फिर पुलिस वाले भी वहां पर आ गये थे और अनु की लाश को रेलमगरा अस्पताल लेकर गये थे। अनु की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश उन्हें सुपुर्द की। अनु की लाश को लेकर वे हमीरगढ़ आये थे। दिनांक 19.10.2020 को हमने अनु की लाश का अंतिम संस्कार किया था। पुलिस वालों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–मौका प्रदर्श पी 05 बनाया था, जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. गवाह पी.ड. 06 चतरलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 03 व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 04 पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. गवाह पी.ड. 07 लादूलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसका मकान लालूराम के मकान से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। लालूराम की दो बच्चियां, जिनमें से एक की शादी कुरज गांव में तथा दूसरी की शादी शंभुगढ़ गांव में करीब 4 साल पहले कराई थी। लालूराम

उसे जब मिलते तो कहते थे कि कुरज गांव में जिस लड़की की शादी की है उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं। करीब चार साल पहले लालूराम की बच्ची की अपने ससुराल कुरज में मृत्यु हो गई। फिर लालूराम अपनी लड़की की लाश को कुरज से हमीरगढ़ लाये थे जहां उसका दाह संस्कार हुआ था।

15. गवाह पी.ड.08 ताराचंद ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके मकान से लालूराम का मकान करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लालूराम के दो बच्चिया, जिनकी शादी दिनांक 29.06.2020 को हुई थी जिसमें बड़ी लड़की की बारात शंभुगढ़ तथा छोटी लड़की अनु की बारात कुरज से आई थी। वह उस शादी में शरीक हुआ था। शादी के बाद अनु अपने ससुराल आने–जाने से उसकी मुलाकात एक–दो बार लालूराम से हुई थी जिन्होंने उसे बताया कि अनु के ससुराल वाले उसको दहेज को लेकर परेशान करते रहते हैं। दिनांक 18.10.2020 को उसे सूचना प्राप्त हुई कि अनु अपने ससुराल में फांसी पर लटक कर या तो खुद ने आत्महत्या कर ली है या फिर उसके ससुराल वालों ने उसे फांसी पर लटका कर मार दिया है। दिनांक 19.10.2020 को वह अनु के दाह संस्कार में शामिल हुआ था। दाह संस्कार में भी लोगों से बातचीत के दौरान उसे पता लगा कि अनु को दहेज के लिए मारा है।

16. गवाह पी.ड.9 बालूराम पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने सशपथ बयान में कथन किया कि उसका मकान व लालूराम का मकान आस–पास में ही है। लालूराम की दो बच्चियां थी, उनकी शादी दिनांक 29.06.2020 को हुई थी, जिनमें से एक की बारात शंभुगढ़ तथा दूसरी की बारात कुरज से आई थी। वह इस शादी में गया था। लालूराम की लड़की अनु की लाश को हमीरगढ़ लेकर आये थे तब दाह संस्कार में वह भी शामिल हुआ था। इसके अलावा इस घटना के संबंध में वह कुछ नहीं जानता। लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने कथन किया कि लालूराम जी ने उसको कभी कोई बात नहीं बताई। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 लिखाये जाने से इन्कार किया।

17. गवाह पी.ड.10 बाबूलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि करीब चार वर्ष पूर्व तिलकेश को पुलिस थाना कुंवारिया के प्रकरण में उसके

समक्ष गिरफ्तार किया गया था, जो प्रदर्श पी. 09 है। इसी प्रकार अभियुक्तगण राजेश, सुशीला व अणछी को पुलिस वालों ने जरिये फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी. 10 लगायत प्रदर्श पी. 12 किया। उक्त प्रदर्शों पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

18. गवाह पी.ड.11 देवेन्द्र ने सशपथ बयान में कथन किया कि करीब चार वर्ष पूर्व तिलकेश को पुलिस थाना कुंवारिया के प्रकरण में गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 09 उसके समक्ष मुर्तिब की। अभियुक्तगण राजेश, सुशीला, अणछी को पुलिस वालों ने जरिये फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी 10 लगायत प्रदर्श पी. 12 किया, जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी दहेज का सामान प्रदर्श पी. 13 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

19. गवाह पी.ड.12 जितेन्द्र कुमार ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 05.11.2020 को सीकाउ यूनिट प्रभारी जिला राजसमंद के पद पर तैनात रहते हुए प्रकरण संख्या 122/20 का अनुसंधान उसके जिम्मे होने से उसके द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान दिनांक 13.11.2020 को उसके द्वारा उक्त प्रकरण में फरियादी लालूराम की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षकण कर फर्द नक्शा–मौका प्रदर्श पी 05 मुर्तिब की थी। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। उसका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने से अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली पुलिस उपधीक्षक छगन पुरोहित के जिम्मे की गई थी।

20. गवाह पी.ड.13 नोपाराम ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 05.11.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना कुंवारिया के पद पर कार्यरत रहते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा के यहां प्रस्तुत प्रार्थी लालूराम का परिवाद पुलिस थाना कुंवारिया में जरिये डाक प्राप्त होने पर उसने प्रकरण दर्ज किया, जिसका पृष्ठांकन प्रदर्श पी 07 रिपोर्ट पर सी से डी भाग पर किया। इसके नीचे ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। इसका एफआइआर नम्बर 122/2020 पंजीकृत हुआ था। इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व जो मर्ग रिपोर्ट संख्या 08/20 दर्ज

हुई थी, उसमें दिनांक 18.10.2020 को पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 03 मुर्तिब किया। उक्त पंचायतनामे में अंकित मृतका अनु कुमारी की लाश का फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी 04 है, जिस पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआइआर प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

21. गवाह पी.ड. 14 रामफल ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 18.11.2020 को थाना कुंवारिया में मालखाना प्रभारी के पद पर तैनात रहते हुए प्रकरण संख्या 122/20 में फर्द का अनु रेगर का एम.ओ. साहब सीएचसी रेलमगरा द्वारा दौराने पोस्टमार्टम लिया गया। बिसरा सीलचीट शुदा जार मार्क 1,2,3 आर्टिकल मालखाने के रजि. क्रमांक 62 पर जमा किये, जो प्रदर्श पी. 15 है। यह तीनों आर्टिकल को एफएसएल में जमा कराने के लिए कानि. केसरसिंह को 09.12.2020 को दिये थे। अनुसंधान अधिकारी द्वारा 02.02.2021 को मृतका के पिता द्वारा दहेज में दिया गया सामान मुताबिक सूची जब्तशुदा को अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश किया गया, जो उसके द्वारा मालखाना रजि. क्रमांक 08 पर दर्ज किया जो प्रदर्श पी. 16 है, जिस पर ए से बी स्थान पर मालखाना जमा करने का अंकन व सी से डी पर उसके हस्ताक्षर है।

22. गवाह पी.ड. 15 रामनारायण ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 02.02.2021 को पुलिस थाना महिला प्रकोष्ठ यूनिट राजसमंद पर हैड कानि. के पद पर तैनात रहते हुए प्रकरण संख्या 122/2020 पुलिस थाना कुंवारिया के मामले में छगन पुरोहित पुलिस उपधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अंगेस्ट वूमन के साथ घटनास्थल कुरज में गया था, जहां पर मौतबीर देवेन्द्र एवं रामनारायण के समक्ष शंकरलाल के मकान में पहुंचे, जहां सामने एक कमरा जिस पर ताला लगा हुआ था चाबी मौतबीर बाबूलाल रेगर से मंगवाकर दरवाजा खुलवाया गया, जिसमें मृतका अनु रेगर अपने पति तिलकेश रेगर के साथ रहती थी, वहां जो सामान पड़ा हुआ था, वजह सबूत बरामद किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 13 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

23. गवाह पी.ड. 16 मनसुखराम डामोर ने सशपथ बयान में कथन किया कि वह 08 अगस्त 2020 से जुलाई 2023 तक उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा पद पर पदस्थापित रहा। दिनांक 18.10.2020 को वह उपखण्ड मजि0 रेलमगरा के पद पर कार्यरत रहते हुए थानाधिकारी कुंवारिया के पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि शंकरलाल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर उसकी पुत्रवधू अनु ने अपने कमरे में साडी का फंदा बनाकर छत से लगी कडी से लटक कर आत्महत्या कर ली है। अनु का विवाह उसके पुत्र तिलकेश के साथ हुआ है। जिस पर उसके द्वारा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रेलमगरा को पोस्टमार्टम कराने हेतु मेडिकल बोर्ड को लिखा पत्र प्रदर्श पी 01 है। मृतका अनु रेगर का पोस्टमार्टम प्रदर्श पी 02 है। मृतका अनु रेगर का पुलिस ने उसकी उपस्थिति में पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 03 मुर्तिब की। मृतका अनु की लाश को उसके परिजन को उसकी उपस्थिति में पुलिस ने सुपुर्दगी दी जिसकी लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी 04 है। उसके समक्ष लालुराम पिता भागीरथ ने उसकी पुत्री अनु कुमारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 दी थी।

24. गवाह पी.ड. 17 डॉ. राष्ट्र सहना आजाद ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 18.10.2020 को उसके सीएचसी रेलमगरा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए चिकित्सा अधिकारी रेलमगरा द्वारा श्रीमती अनु पत्नी तिलकेश रेगर का मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया था। मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश प्रदर्श पी 01 है। श्रीमती अनु कुमारी का पोस्टमार्टम वह और डॉ0 बाबुलाल सैनी, डॉ0 कमलेश बोहरा द्वारा पोस्टमार्टम किया था जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मेडिकल रिपोर्ट की राय ए से बी स्थान पर है। उनकी राय में मौत का कारण दम घुटना था फिर भी अग्रिम कार्यावही हेतु मृतका के विसरा जिनमें लीवर इन्टेस्टाइन और ब्लड सैम्पल लिये गये थे जिनको जार में रखकर सीलचीट कर पुलिस को सुपुर्द किये थे।

25. गवाह पी.ड. 18 केसरसिंह ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 03.12.2020 को वह पुलिस थाना कुंवारिया में कानि0 के पद पर

पदस्थापित रहते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट नं0 120/20 में जमाशुदा जार लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गया था। इस सम्बन्ध में पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 17 व जिला पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 18 है। उस समय एफएसएल से ऑब्जेक्शन आने के कारण वह पुनः आर्टिक्ल थाने में लाया और मालखाने में जमा कराया। दिनांक 09.12.2020 को पुनः उक्त आर्टिक्ल लेकर एफएसएल गया था। इस सम्बन्ध में पुलिस थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 19 है। जिला पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 20 है। उक्त सभी प्रदर्शों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा एफएसएल में जमा कराये गये सामान की रसीद प्रदर्श पी. 21 है।

26. गवाह पी.ड. 19 डॉ. बी.एल. सैनी ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 18.10.2020 को चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेलमगरा के पद पर कार्यरत रहते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा द्वारा मृतका अनु का मेडीकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की तहरीर प्रदर्श पी 01 दी गई थी। मेडीकल बोर्ड द्वारा मृतका अनु कुमारी का पोस्टमार्टम किया गया था। अनु कुमारी द्वारा साड़ी का फंदा गले मे डालकर आत्महत्या करने की तहरीर प्राप्त हुई थी। मेडीकल बोर्ड द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 तैयार की गई थी। मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण एसफेक्सिया ड्यू टू एन्टीमोर्टम हेंगिंग था। मेडीकल बोर्ड द्वारा मृतका का पोईजनिंग के संबंध में बिसरा लेकर अनुसंधान अधिकारी को सीलचिट अवस्था में दिया था जो जार नम्बर 1, 2 व 3 है। जार नम्बर 1 में लीवर, किडनी व स्प्लिन के टुकड़े थे। जार नम्बर 2 में इंटेस्टाईन व स्टॉमेक के पीसेज थे। जार नम्बर 3 में 10 एमएल व्होल ब्लड का नमुना था।

27. गवाह पी.ड. 20 छगन पुरोहित ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 06.01.2021 को डी वाई एस पी, महिला अनुसंधान प्रकोष्ठ, राजसमंद के पद पर रहते हुए उस समय जितेन्द्र उप अधीक्षक का स्थानांतरण होने से प्रकरण संख्या 122/2020 धारा 498ए, 304बी भा.द.स. का अग्रिम अनुसंधान उसके जिम्मे हुआ था, उसने गवाहान के बयान उनके

कथनानुसार लेखबद्ध किए। उसनें अभियुक्तगण तिलकेश, राजेश, सुशीला, अणछी को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 09 लगायत प्रदर्श पी 12 मुर्तिब की, जिन पर ई से एफ अभियुक्त के व जी से एच स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। गिरफ्तार अभियुक्त तिलकेश ने स्वेच्छा से सूचना प्रदर्श पी. 22 दी जिसको धारा 27 साक्ष्य अधि. के तहत लेखबद्ध कर फर्द मुर्तिब की। अभियुक्त की सूचना अनुसार दहेज का सामान बरामद किया था, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 13 मुर्तिब की। बरामदशुदा माल को मालखाना में जमा करवाया, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 15ए है। प्रकरण में दौराने अनुसंधान प्रार्थी लालूराम से विवाह के संबंध में रिकॉर्ड मांगा गया था, जो प्रार्थी लालूराम द्वारा पुलिस उपाधीक्षक महोदय के नाम के पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया, जो पत्र प्रदर्श पी 23 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी के हस्ताक्षर है, उसके साथ दहेज के सामान की सूची व फोटोग्राफ्स पेश किए गए थे। दौराने अनुसंधान उसे दहेज के सामान अभियुक्त तिलकेश द्वारा बरामद करवाया गया था, जिसको मालखाना में जमा करवाया था, जिसकी नकल प्रदर्श पी. 24 है। प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल की एफ एस एल जांच प्राप्त होने पर न्यायालय में पेश की गई, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 25 है। एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी 26 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से उसने अभियुक्तगण तिलकेश, सुशीला, अणछी व राजेश के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भा.द.स. का प्रमाणित पाए जाने से चालानी आदेशार्थ एस पी साहब को प्रेषित की थी, जिस पर थानाधिकारी श्री पेशावर खान द्वारा चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई।

28. गवाह पी.ड. 21 पेशावर खान ने सशपथ बयान में कथन किया कि उसके दिनांक 25.03.2021 को थानाधिकारी कुंवारिया के पद पर कार्यरत रहते हुए उसे प्रकरण संख्या 122/2020 की पत्रावली चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुई थी, जिस पर उसने न्यायालय में अभियुक्तगण के विरुद्ध चार्जशीट कता कर न्यायालय में प्रस्तुत की।

29. विद्वान् लोक अभियोजक की ओर से बहस की गई है कि अभियोजन पक्ष के गवाह परिवादी पी.डब्ल्यू. 3 लालुलाल सहित, पी.डब्ल्यू. 2 सोहनलाल व स्वयं मृतका की माता पी.डब्ल्यू. 4 प्रेमदेवी एवं भाई पी.डब्ल्यू.

5 मुकेश कुमार ने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग कर प्रताड़ित किये जाने जिसके परिणामस्वरूप मृतका अनु द्वारा आत्महत्या कर लेने बाबत् स्पष्ट कथन अपने बयानों में किये हैं तथा उक्त गवाहान की जिरह में भी कोई विरोधाभास नहीं रहा है। प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 7 लादूलाल, पी.डब्ल्यू. 8 ताराचंद व पी.डब्ल्यू. 9 बालूराम, जो कि मृतका के पीहर के पड़ोसी हैं, ने भी अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग करने के तथ्य की ताईद की है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 से मृतका अनु की मृत्यु दम घुटने से फांसी का फंदा लगाने के कारण होना साबित है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्षी डॉ. कमलेश बोहरा, राष्ट्र सहना आजादा व डॉ. बी.एल. सैनी ने अपनी साक्ष्य में की है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 13 से प्रकरण में अभियुक्त तिलकेश की सूचना पर उसके मकान से दहेज का सामान आभूषण वगैरह भी बरामद होना साबित है। इस प्रकार अभियोजन की उक्त साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा विवाह के मात्र चार माह में ही मृतका को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने, जिसके कारण मृतका द्वारा आत्महत्या कर लेना सन्देह से परे साबित होता है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

विद्वान् अधिवक्ता बचाव पक्ष का तर्क रहा कि अभियोजन के अधिकांश गवाह मृतका के परिवारजन होकर हितबद्ध साक्षी हैं, जिनके बयानों में भी मृतका से दहेज की मांग किये जाने बाबत् गम्भीर विरोधाभास हैं। परिवादी लालूलाल ने अपने बयानों में यह तो कथन किया कि मृतका अनु द्वारा उसे दहेज की मांग वाली बात बताई गई, परन्तु जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उससे किसी प्रकार की मांग नहीं की। स्वयं मृतका के माता–पिता ने अपने बयानों में कथन किया है कि मृतका पीहर आती तो तिलकेश उसे लेने के लिए आता था तथा अभियुक्तगण ने भी शादी में मृतका को आभूषण दिये थे। यह गवाह लालूलाल मृतका का पिता है, जबकि इसने शादी के समय मृतका द्वारा तिलकेश से शादी नहीं करना चाहने बाबत् कहने के प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं देते हुए इसे ध्यान नहीं होना कहा है। परिवादी ने घटना की रिपोर्ट भी देरी से दर्ज कराई है,

जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। साथ ही घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में नहीं दी जाकर उखण्ड मजिस्ट्रेट को पेश की गई, जिसके बारे में भी कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 11 देवेन्द्र, जो कि दोनों ही पक्षों की रिश्तेदारी में है, ने शादी के समय मृतका द्वारा अभियुक्त तिलकेश से शादी करने से मना कर देने का तथ्य स्वीकार किया है तथा बाद में मृतका के पिता द्वारा उसे समझाकर शादी कराना बताता है। इस प्रकार गवाहों के बयानों से यही साबित होता है कि मृतका शुरू से ही अभियुक्त तिलकेश से विवाह करना नहीं चाहती थी और इसी कारण स्वेच्छा से विवाह नहीं होने से उसने आत्महत्या की थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होते हैं। लिहाजा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

30. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण का प्रारम्भ परिवादी लालुराम द्वारा दिनांक 29.06.2020 को पेश की गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 से हुआ। इस रिपोर्ट में परिवादी ने कहा कि उसकी पुत्री अन्नु कुमारी पत्नी तिलकेश रैगर का विवाह दिनांक 29.06. 2020 को हमीरगढ में सम्पन्न करवाया । शादी के समय उसने हैसियत अनुसार उसकी पुत्री को स्त्रीधन के रूप में सोने, चांदी के जेवर, खाने–पीने के बर्तन, पलंग, आलमारी आदि सामान दिया । शादी के बादसे ही उसकी पुत्री उसके ससुराल कुरज आने–जाने लग गई । जब कभी अन्नु हमीरगढ घर पर आती तब वह उसे व उसकी पत्नी को बताती की ससुराल में उसे दहेज कम देने की बात को लेकर ताने मारते रहते हैं कि उसके पिता ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया, वह भूखे घर से आई है और दहेज में कुछ नहीं लाई है, वह अपने पिता के पास से फोरव्हीलर एवं 5 लाख रुपये नकद लेकर आए अन्यथा उसे नहीं रखेंगे । उसका दामाद तिलकेश दिनांक 16.09.2020 को अन्नु को हमीरगढ छोड़कर चला गया । तब से उसकी पुत्री उसके घर पर ही रह रही है। दिनांक 10.10.2020 को उसका दामाद पुत्री अन्नु को लेने आया जिनको उसने व उसकी पत्नी ने समझा–बुझाकर ससुराल कुरज भेज दिया । उसकी पुत्री अन्नु ने ससुराल

कुरज पहुंचकर बताया कि उसके ससुराल में उसे उसका पति तिलकेश, जेठ राजेश, ननद अणछी देवी, ननद चंदादेवी, जेठानी सुशीला सभी व्यक्ति उसे दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर रहे हैं, वह परेशान हो गई है, उसे फोन पर बात भी नहीं करने देते हैं । इस पर उसे अपनी पुत्री के ससुर शंकरलाल को फोन पर समझाया पर शंकरलाल यह कहकर बात टाल देते कि वह बाहर है, घर जाकर परिवार से बातचीत करके वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे । लेकिन काफी इंतजार के बाद भी फोन पर उसकी बात को नजरअंदाज करते रहे । फिर उसकी पत्नी ने अन्नु की जेठानी व ननदों को फोन पर समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि फॉरव्हीलर एवं 5 लाख रुपये नकद देंगे तब ही वे अन्नु को उनके घर में रखेंगे नहीं तो जान से मार देंगे । दहेज की मांग उसके द्वारा पूरी नहीं करने से दिनांक 18.10.2020 को उसकी पुत्री अन्नु को जान से मारकर गले में साड़ी से फंदा लगाकर कड़े से बांध कर लटका दी और शंकरलाल ने उसे फोन पर बताया कि उसकी बेटी मर गई है । यह बात सुनकर वह अपने परिवार वालों को लेकर कुरज आया तो वहां देखा कि जिस कमरे में अन्नु का शव लटका हुआ था उसका किवाड़ व रोशनदान खुले थे, शव जमीन से करीब 3 फीट ऊंचा लटका हुआ था, पैरों के नीचे स्टूल, पीपा या अन्य वस्तु नजर नहीं आई । उस समय घर के बाहर व अंदर पुलिस खड़ी थी और पुलिस वालों ने कहा कि अन्नु का पोस्टमॉर्टम कराना है तो शव को फंदे से उतारकर रेलमगरा सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने अन्नु का पोस्टमॉर्टम किया तब जाकर अन्नु की लाश उसे सुपुर्द की, फिर वे अन्नु का शव लेकर हमीरगढ गए जिसका दिनांक 19.10.2020 को अंतिम संस्कार किया । उक्त सभी ने उसकी पुत्री को कम दहेज का दबाव बनाकर काफी परेशान किया और अंत में उसकी हत्या कर लटका दिया है। उक्त सभी ने उसकी पुत्री, जिसके विवाह को तीन माह हुये हैं, पर कम दहेज का दबाव बनाकर काफी परेशान किया और अंत में उसकी हत्या कर लटका दिया, अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर उसकी पुत्री को दहेज में दिया सामान जर जेवर व स्त्रीधन बरामद कर उसे दिलाया जावे। उक्त रिपोर्ट संबंधित थानाधिकारी को प्रेषित की गयी,

जिसके आधार पर दिनांक 05.11.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

हस्तगत प्रकरण में बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी ने मृतका के पति तिलकेश तथा अन्य तीन के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ना करने तथा अंत में दहेज की मांग को लेकर मृतका को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के परिणामस्वरूप दहेज हत्या का मामला साबित पाये जाने पर अभियोग पत्र पेश किया गया तथा न्यायालय ने भी अभियुक्तगण पर उक्त अपराधों के लिए आरोप विरचित किये।

हस्तगत प्रकरण में पीड़िता के परिजन, जिनमें मृतका का पिता पी. डब्ल्यू. 3 लालुलाल, पी.डब्ल्यू. 2 सोहनलाल मृतका के पिता का बड़ा भाई, पी.डब्ल्यू. 4 प्रेमदेवी मृतका की माता तथा पी.डब्ल्यू. 5 मुकेश कुमार मृतका के भाई के बयान महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे गवाह, जिन्होंने मृतका एवं अभियुक्त तिलकेश की शादी में भाग लिया था एवं जो मृतका तथा अभियुक्तगण के पड़ोसी हैं, के बयान महत्वपूर्ण हैं और ऐसे गवाहान में पी. डब्ल्यू. 7 लादूलाल, पी.डबल्यू. 8 ताराचंद, पी.डब्ल्यू. 9 बालूराम तथा पी. डब्ल्यू. 11 देवेन्द्र हैं। न्यायालय को यह देखना है कि ''आया उक्त गवाहान द्वारा किये गये कथन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करते हैं''?

अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका के पिता एवं परिवादी लालुलाल को पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है। इस गवाह ने अपने मुख्य बयानों में कहा है कि उसकी पुत्री अनु की शादी दिनांक 29.06.2020 को तिलकेश के साथ करवाई थी। शादी के समय उसने अपनी स्थिति के अनुसार स्त्रीधन के रूप में दहेज का सामान एवं जर जेवर दिए थे। शादी के कुछ दिन बाद ही अनु के ससुराल वाले, पति तिलकेश एवं जेठ राजेश, ससुर शंकरलाल, ननद अणछी देवी, जेठानी सुशीला देवी आदि ने दहेज के लिए एक फोर व्हीलर व नकद 5 लाख रूपए की मांग की, उक्त घटना उसकी पुत्री अनु कुमारी ने उसे बताई और कहा कि पापा आपने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया है, मुझे कुछ दो तभी ये मुझे अच्छा रखेंगे। यह मांग पूरी नहीं होने से उसकी पुत्री अनु को

शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर जान से मार दिया एवं साड़ी से बांध कर कड़े पर लटका दिया। जिस दिन उसकी पुत्री शंकरलाल का फोन उसके पास आया था और कहा कि आपकी बच्ची घर पर कोई काम नहीं कर रही है, जिस पर उसनें कहा कि बच्ची से बात करवा दो तो शंकरलाल जी बोले कि मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन घर जाने के बाद भी उन्होनें उसकी अनु से बात नहीं करवाई। दूसरे दिन सुबह वापस शंकरलाल का फोन आया और कहा कि अनु मर गई है जिस पर वह अपने परिवार को लेकर कुरज आया। वहां पर उसने देखा कि कमरे में अनु की लाश लटकी हुई थी और पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस वाले अनु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रेलमगरा अस्पताल लेकर आए। उसने पुलिस थाना रेलमगरा पर रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिसवालों ने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच एस डी एम कार्यालय रेलमगरा में चल रही है वहां जाओ, जिस पर वह एस डी एम कार्यालय में जाकर एक टाइपशुदा दी थी, जो प्रदर्श पी 07 है। जब इस गवाह ने जिरह की गयी तो गवाह ने कहा कि **वह अणछी देवी और उसकी लड़की के जेठ व जेठानी से कभी नहीं मिला**। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि जब पंचायतनामा लाश और सुपुर्दगी लाश बनाया, तब उसने थाने में कोई रिपोर्ट नहीं थी, न ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी। गवाह ने स्वयं का 30 वर्षों से पुलिस में नौकरी करने का कथन किया। गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि **शादी के समय जो सामान उसने दिया, वह अपनी इच्छा से दिया था**। गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि **उसकी पुत्री जब घर पर आती थी, तब उसका पति उसे लेने के लिए आता था**, तब वह शंकरलाल जी से बात करके फिर भेजता था। गवाह ने यह भी कथन किया कि **''यह कहना सही है कि अभियुक्तगण ने मुझसे कभी भी किसी प्रकार की मांग नहीं की''**। गवाह ने स्वतः कथन किया कि उसकी पुत्री ने शादी के महीने डेढ़ माह बाद उसे बताया कि पांच लाख रुपये और कार मांग रहे हैं, परन्तु गवाह ने आगे स्वीकार किया कि उसने इस मांग को किये जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं की। गवाह ने यह भी कथन किया कि **''यह कहना सही है कि मैं शादी के पश्चात् कभी भी मुलजिमान के घर पर नहीं गया''**। गवाह ने यह

भी कथन किया कि उसे ध्यान नहीं है कि शादी के समय उसकी लड़की ने यह कहा हो कि वह तिलकेश से शादी नहीं करना चाहती हो। उसके यहां पर लड़की शादी के बाद तीन चार दिन रही थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 में उसकी लड़की के 16.09.2020 से 10.10.2020 तक उसके यहां रहने की बात सही लिखी है।

गवाह पी.डब्ल्यू. 2 सोहनलाल, जो कि मृतका के पिता का बड़ा भाई है, ने अपने मुख्य बयानों में अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, इस पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष की जिरह में भी इस गवाह ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में गवाह ने कहा है कि यह कहना सही है कि वह शादी के पश्चात् सिर्फ मृत्यु के समय ही मुलजिमान के यहां गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि जो सामान लड़की को दिया था, वह व्यवहार के फलस्वरूप जो समाज में प्रथा है उसके अनुरूप दिया है। गवाह ने मुलजिमान की तरफ से भी अनु को छोटे मोटे जेवर दिये जाना स्वीकार किया।

अभियोजन पक्ष के गवाह पी.डब्ल्यू. 4 प्रेमदेवी मृतका की माता है, जिसने अपने मुख्य बयानों में कहा है कि उसकी पुत्री जब उनके घर आती तब बताती थी कि दहेज कम दिया है इसलिए उसके ससुराल वाले उसके साथ लड़ाई–झगड़ा करते हैं और कहते थे कि जमीन कम दी है, तेरे बाप ने हमें जमीन नहीं दी है। इस गवाह ने जब जिरह की गई तो इस गवाह ने स्वीकार किया कि शादी के समय उसकी पुत्री को उसके ससुराल वालों ने सोने–चांदी के आभूषण दिये थे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि **''मेरा दामाद तिलकेश दो–तीन बार मेरी पुत्री को लेने के लिए आया था''**। गवाह ने स्वतः कथन किया कि वह एक मर्तबा शादी के पश्चात् मुलजिमान के यहां गई थी, वहां पर चाय पी और निकल गये। गवाह ने यह भी कथन किया कि **''मुलजिमान और उसके परिवार वालों से मैं प्रेम से मिली–जुली थी''**।

गवाह पी.डब्ल्यू. 5 मुकेश मृतका का भाई है। इस गवाह ने एक नई कहानी बनाते हुए कहा कि शादी के पश्चात् सभी अभियुक्तगण उसकी

बहिन को सामान कम देने के लिए प्रताड़ित करने लगे थे और कहते थे सोने–जेवरात कम दिये हैं। और ये भी ताना देते थे कि उनके क्षेत्र में तो बहुत दहेज देते हैं और वो कहते कि तू तो भूखे घर से आई है। उसकी जेठानी उसकी बहन को ताना मारती थी कि जब उसकी शादी हुई थी तब वह दो लाख रूपए दहेज में लाई थी लेकिन तू क्या लेकर आई है। जिरह में यह गवाह कहता है कि उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में यह बात बताई थी कि उसकी बहन की जेठानी दहेज में दो लाख रुपये लेकर आई थी, परन्तु यह बात पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में क्यों नहीं लिखी है, यह वह नहीं बता सकता। गवाह ने इस सुझाव से अस्वीकृति दी कि तिलकेश उसकी बहन को उनके यहां पर दो–तीन बार लेने आया हो, बल्कि एक बार भी नहीं आया, स्वतः कहा कि एक बार लेने के लिए आया था।

उपर्युक्त प्रकार से अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाह, जो कि मृतका के परिजन हैं, के बयानों से यह तथ्य सामने आता है कि कोई भी गवाह ऐसा नहीं है जो अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग किये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन करता हो। मृतका का भाई तो दो लाख रुपये के लिए कहता है, मृतका की माता जमीन देने बाबत् कहती है तथा मृतका का पिता पांच लाख रुपये तथा गाड़ी की मांग बाबत् बताता है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि मृतका का पिता एक पुलिस अधिकारी है जो इस प्रकार के प्रकरणों से पूर्णतः वाकिफ है। इसके बावजूद भी मृतका के कथित रूप से कहने के बाद भी वह एक बार भी मृतका के ससुराल नहीं गया तथा दहेज की मांग बाबत् कभी शिकायत नहीं की। मृतका की माता के बयानों से यह स्पष्ट है कि मृतका जब अपने पीहर आती थी तो उसे लेने के लिए उसका पति अभियुक्त तिलकेश ही आता था, लेकिन परिवादी पक्ष ने कभी भी इस बाबत् उससे बात नहीं की कि उसके द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को परेशान किया जा रहा है। मृतका का पिता परिवादी भी मृतका के कहने के बावजूद कभी अभियुक्तगण से बात करने के लिए उनके घर नहीं गया। परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सीधे तौर पर पुलिस में दर्ज नहीं करवाई, बल्कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट भी घटना के करीब चार दिन बाद पेश की गयी है, जो इस बात का संकेत

करती है कि यदि वास्तव में ऐसा हुआ होता तो परिवादी, जो स्वयं एक पुलिस अधिकारी है, घटनास्थल पर पहुंचते ही घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट पेश करता, लेकिन परिवादी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। परिवादी पक्ष का यह कृत्य घटना की वास्तविकता को सन्देह के घेरे में लाता है। पत्रावली पर आई सम्पूर्ण साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि मृतका के ससुराल पक्ष ने भी शादी में आभूषण दिये हैं। साथ ही यह भी साबित है कि शादी के समय किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की गयी थी। अभियोजन पक्ष ने परिवादी पक्ष के उन गवाहान के बयान भी करवाये हैं जो परिवादी के पड़ोसी हैं तथा शादी में शरीक हुए थे। इन गवाहान के बयानों से भी ऐसा कोई साक्ष्य हमारे समक्ष नहीं आता है कि अभियुक्तगण की ओर से मृतका को कभी दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया हो।

अभियोजन पक्ष के गवाहान का जब समग्र रूप से अवलोकन किया जाता है तो पाते हैं कि मृतका प्रारम्भ से ही अभियुक्त तिलकेश से शादी नहीं करना चाहती थी, इस तथ्य को अभियोजन पक्ष का गवाह पी.डब्ल्यू. 11 देवेन्द्र अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। यह गवाह जिरह में कहता है कि मृतका को अभियुक्तगण ने शादी के समय सोने का नेकलेस, चूड़ियां, टीका तथा चांदी का कंदोरा व पायजेब दिये थे। वह भी शादी में गया था। **यह कहना सही है कि शादी के समय मृतका ने तिलकेश से शादी करने से मना कर दिया था। फिर मृतका के पिता ने समझा–बुझा कर शादी कराई थी।** गवाह ने स्वीकार किया कि उनके समाज में दहेज मांगने का कोई रिवाज नहीं है। **यह कहना सही है कि मुलजिमान ने परिवादी पक्ष से कभी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की थी**। इस प्रकरण में मृतका द्वारा तिलकेश से शादी से मना करने के तथ्य के संबंध में जब जिरह में परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने भी इन्कारी नहीं की, बल्कि कथन किया कि उसे ध्यान नहीं है कि मृतका ने तिलकेश से शादी करने से इन्कार किया हो। परिवादी का यह कथन ही घटना की वास्तविकता पर सन्देह डालता है। वास्तविकता यह हो सकती है कि मृतका तिलकेश से शादी करना नहीं चाहती थी तथा परिवारजन द्वारा वहां

शादी कर देने पर मृतका ने यह कदम उठाया हो। स्वयं परिवादी यह कहता है कि अभियुक्त पक्ष ने कभी भी उससे दहेज कम देने की बात नहीं की तथा न ही शादी में दहेज मांगा। अभियोजन पक्ष के उक्त साक्ष्य घटना की वास्तविकता पर सन्देह पैदा करते हैं। अतः उपर्युक्त समग्र विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मतानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से सन्देह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

:: आदेश ::

31. परिणामतः अभियुक्तगण **सुशीला पत्नी राजेश रैगर,** निवासी कुरज, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द**, तिलकेश पुत्र शंकरलाल रैगर,** निवासी कुरज, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द, **राजेश पुत्र शंकरलाल रैगर,** निवासी कुरज, पुलिस थाना कुंवारिया, जिला राजसमन्द **व अणछी पत्नी कैलाश रैगर,** निवासी नया समेलिया, पुलिस थाना कोतवाली, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण में वजह सबूत जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

32. निर्णय आज दिनांक **23.03.2026** को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

ALOK KUMAR SHARMA
Digitally signed by ALOK KUMAR SHARMA
Date: 2026.04.07 15:08:54 +05'30'